वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 02.08.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स,न्यायाधीश,जनसदेश टाइम्स,राष्टीय सहारा" समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 02.08.2024

वीडीए को 57 बेसमेंट में मिला कारोबार

नियम का पालन नहीं करने पर मुकदमा दर्ज कराकर होगी निर्माण तोड़ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बेसमेंट में कारोबार करने वालों के खिलाफ चली कार्रवाई में गुरुवार को 57 बेसमेंटों की जांच की गई। इसमें सुद्धिपुर में राज टीवीएस, भरलाई में महिंद्रा शोरूम और तरना में कजरिया टाइल्स के बेसमेंट में कारोबार संचालित होते पाया गया। यहां संचालकों ने जांच करने का विरोध किया लेकिन वीडीए की टीम जांच कर लौटी।

वहीं सभी बेसमेंट में वाहन पार्किंग की जगह कारोबार मिले। उन सभी भवन स्वामियों को नोटिस जारी करने के साथ तीन दिन के अंदर बेसमेंट में कारोबार बंद कर वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। तीन दिन में कारोबार बंद नहीं होने पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ बेसमेंट बने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।इधर, बेसमेंट में चल रही कार्रवाई की जांच करने वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग निकले। जोनल अधिकारी को बेसमेंट में वाहन पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कहा।

दुर्गाकुंड में बेसमेंट में जांच कर बाहर निकलते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ▪ जागरण

- वीडीए उपाध्यक्ष ने निरीक्षण कर जोनल अधिकारी को दिया निर्देश
- भवन स्वामी को नोटिस थमाने के साथ तीन दिन की दी मोहलत

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि दुर्गाकुंड स्थित एल-1 कोचिंग, आदित्य राज टेक्नोलाजी क्लासेज, कैटलिस्ट लाइब्रेरी, नोवेल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया गया। वाहन स्वामी व संचालक को बेसमेंट में कारोबार बंद करने का निर्देश दिया गया है।

जांच किए गए 57 बेसमेंट में जोन एक शिवपुर व सिकरौल वार्ड में आठ, जोन तीन दशाश्वमेध में 35, जोन चार भेलूपुर व नगवां वार्ड में आठ और जोन पांच रामनगर व मुगलसराय वार्ड में छह बेसमेंटों में पार्किंग की जगह कारोबार पाया गया। वहीं, 27 बेसमेंट संचालकों को मकान का मानचित्र दिखाने के लिए नोटिस जारी किया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इन्हें थमाया नोटिस

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सुद्धिपुर मै राज टीवीएस, भरलाई मे महिंद्रा शोरूम, तरना मे कजरिया टाइल्स, बौलिया मे डिवाइन सैनिक स्कूल, श्री प्रभु नरायन उपाध्यक्ष कटारा राम रतन सिंह, महेशपुर मे किशन पटेल, हरितीरथ चौराह पर अभिषेक चटर्जी, सुनील कुमार, नैवादा सुंदरपुर मे भागीरथी पटेल, रमेश चंद्र, रोहित प्रधान, गीता देवी, डा. प्रभात कुमार, भेलूपुर अस्सी मे रवि मिश्रा, दीपाली रेस्टोरेंट, चंदासी सक्कर्स रोड पर केके पार्लर, मुगलसराय मे स्वामी चौका चूल्हा, कैलाशपुरी, टेंगरा मोड़ कमला नर्सिंग होम, रामनगर मे कृष्णा स्वीट्स हाउस, रामनगर भीटी मे कलीम रजा खां, तरना मे राकेश, सुद्धिपुर मे राजेश कुमार सुद्धिपुर, राम चरण व इंद्रपाल आदि को नोटिस दिया है।

दैनिक जागरण –दि0 02.08.2024

अवैध निर्माण सील, प्लाटिंग पर गरजा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ गुरुवार को भी कार्रवाई हुई। वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा ने बताया कि सारनाथ वार्ड के छांही गांव में रामापति पांच बीघा में अवैध प्लाटिंग कर रहे थे। जोनल अधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में टीम ने बुलडोजर से अवैध बाउंड्री को तोड़ दिया। जोन चार के नगवा वार्ड में अवर अभियंता आरके सिंह ने गंगा किनारे से 200 मीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माण को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 02.08.2024

34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दी तहरीर

अवैध निर्माण

- थानों में मुकदमा दर्ज नहीं होने पर उपाध्यक्ष ने आयुक्त को लिखा पत्र
- अवैध निर्माण, जमीन की प्लाटिंग करने वालों का बढ़ रहा है मनोबल

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने विभिन्न थानों में दी गई तहरीर और निर्माण व प्लाटिंग करने वालों की सूची भी भेजी है। पत्र में लिखा है कि अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। वहीं, कुछ लोग अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे 34 लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में तहरीर दी गई।

उन्होंने लिखा है कि समीक्षा में पाया गया कि थाने स्तर पर मुकदमा दर्ज नहीं होने से अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों का मनोबल बढ़ रहा है इनके खिलाफ विभागीय नौटिस जारी की गई है। इसमें शिवपुर, कैंट, पांडेयपुर लालपुर, लंका, रोहनिया थाने में एक-एक, चोलापुर में छह, सारनाथ में तीन, चौबेपुर में आठ, चौक में चार, सिगरा में दो और मुगलसराय में चार अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ तहरीर दी गई है। इनमें विनोद राय, गुलाब यादव, मोनू सिंह, ब्रजेश कुमार पांडेय, महेंद्र सिंह, मनोरंजन पांडेय, विनोद कुमार, मोहन सिंह यादव, लालचंद यादव, विनोद राय, सत्येंद्र मौर्या, अमर देव प्रजापति, मनीष मिश्रा, रमेश पटेल, आदित्य सर्राफ, गुलाब चंद, जबीर हसन, चमन सेठ, संजय, दीपू पटेल है। अवैध निर्माण करने में अनमोल सेठ, सोनल सिंह, प्रमिला सिंह, आद्या पांडेय आदि हैं।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला –दि0 02.08.2024

जांच में 57 बेसमेंट के मालिकों को नोटिस

वीडीए का आदेश- तीन दिन में अवैध इस्तेमाल बंद कर वैधता प्रमाण पत्र पेश करें भवन मालिक

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए की ओर से बृहस्पतिवार को सभी जोन में बेसमेंट में की जा रही व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान जांच में 57 बेसमेंट का गलत इस्तेमाल पाया गया। इन सभी को तीन दिन के भीतर अवैध इस्तेमाल बंद कर वैधता प्रमाण पत्र पेश करने का नोटिस दिया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार जोन वन के शिवपुर और सिकरौल वार्ड में 8, जोन थ्री दशाश्वमेध में 35, जोन फोर भेलूपुर, नगवा में 8, जोन फाइव रामनगर मुगलसराय में 6 बेसमेंटों का अवैध इस्तेमाल किया जा रहा है।

जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें राज टीवीएस सुद्धिपुर, कजारिया टाइल्स तरना, महिंद्रा शोरूम भरलाई, राकेश तरना, राजेश कुमार सुद्धिपुर, राम चरण सुद्धिपुर, इन्द्रपाल सुद्धिपुर, डिवाइन सैनिक स्कूल बौलिया, प्रभु नरायन उपाध्याय कटरा राम रतन सिंह बौलिया, किसन पटेल, महेशपुर अभिषेक चटर्जी, हरतीरथ चौराहा, सुनील कुमार वृद्धकाल हरतीरथ, भागीरथी पटेल, नेवादा सुन्दरपुर, रमेश चंद्र नेवादा सुंदरपुर, रोहित प्रधान, नेवादा सुंदरपुर, गीता देवी, नेवादा सुंदरपुर, अनुज डिडवानिया वगैरह शाकुम्बरी कॉम्पलेक्स, डॉ. प्रभात कुमार नेवादा सुंदरपुर, रवि मिश्रा अस्सी भेलुपुर, दीपाली रेस्टोरेन्ट, अस्सी भेलूपुर, केक पार्लर घन्धासी सर्कस रोड और कुछ अन्य भी हैं। इनके अलावा स्वास्थ्य यादव नेवादा सुंदरपुर की ओर से गोदाम संचालन पाया गया।

वीडीए के अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर चौक थाने में अवैध निर्माण पर एफआईआर दर्ज की गई। बगैर नक्शा पास कराए सिटाबसराय कच्ची सराय में जबीर हसन ने निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें अवैध निर्माण बंद करने का नोटिस दिया गया था। बगैर शमन मानचित्र पेश किए धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराया जा रहा है।

बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि के विरुद्ध अभियान चलाते वीडीए कर्मी। स्रोत-वीडीए

वीडीए ने 5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वीडीए की ओर से बृहस्पतिवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार सारनाथ वार्ड के छाही में रमापति की ओर से 5 बीघे की अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसे पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया। नगवां में अस्सी मार्ग पर गंगा से 200 मीटर दायरे में 3000 वर्गफीट में किए जा रहे अस्थायी निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।

पांच कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी होगी सील

तीन दिन की मियाद पूरी होने के बाद वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग दुर्गाकुंड पहुंचे। यहां बेसमेंट में चल रहे पांच कोचिंग संस्थानों से वैधता प्रमाण पत्र मांगा। कोचिंग संस्थान के संचालक वैधता प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए तो उनको खाली कराने के साथ सील कराने की हिदायत जोनल अधिकारी को दी। इनमें एल वन कोचिंग, कैटलिस्ट लाइब्रेरी, आदित्य राज टेक्नालाजी क्लासेज, स्कालर लाइब्रेरी, नोबल लाइब्रेरी शामिल हैं।

34 अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा

अवैध प्लॉटिंग, निर्माण कराने वाले 34 लोगों के खिलाफ वीडीए की ओर से मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई। इसके लिए पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा जाएगा। बृहस्पतिवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने समीक्षा की। वीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार शिवपुर, कैंट, लालपुर, लंका, रोहनिया थाने में 1-1 तहरीर दी गई। इनके अलावा चोलापुर में 6, सारनाथ में 3, चौबेपुर में 8, चौक में 4, सिगरा में 2, मुगलसराय में 4 तहरीर दी गई है। इनमें कुछ नामजद हैं तो कुछ अज्ञात हैं।

कॉमर्शियल कम हाउसिंग योजना का मानचित्र स्वीकृत

वीडीए ने वाराणसी-प्रयागराज पर 32 यूनिट की कॉमर्शियल कम हाउसिंग योजना का मानचित्र स्वीकृत किया। बृहस्पतिवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि दरेखू, कसवार राजा के पास विकासकर्ता मोमिन तहसीन व अन्य की ओर से 2142 वर्गमीटर का ऑनलाइन मानचित्र जमा किया गया था। इसमें डबल बेसमेंट, प्रथम, द्वितीय तल व्यावसायिक एवं तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम तल फ्लैट तथा सप्तम एवं नवम तल डुप्लेक्स फ्लैट आवासीय है। इससे वीडीए को 66.73 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

आज –दि0 02.08.2024

27 बेसमेंट भवनों के विरुद्ध 3 दिन मे अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं वैधता प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सभी जोन में बेसमेंट में की जा रही व्यवसायिक गतिविधि के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसके क्रम में आज कुल 57 बेसमेंट भवन की स्थलीय जांच में मौके पर नियम विरुद्ध प्रयोग होता पाया गया। जोन-1 के शिवपुर और सिकरौल वार्ड में कुल 8 बेसमेंट भवनों में अनाधिकृत प्रयोग पाया गया। जोन-3 दशाश्वमेध में 35, जोन-4 भेलूपुर और नगवा में कुल 8 एवं जोन-5 रामनगर और मुगलसराय में कुल 6 बेसमेंट भवनों में अनाधिकृत प्रयोग होता पाया गया। इस प्रकार कुल 27 बेसमेंट भवनों के विरुद्ध 3 दिन में अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया हैं उनमें मुख्यतः राज टी0वी0एस0 सुद्धपुर, कजारिया टाइल्स तरना, महिन्द्र शोरूम भरलाई, श्री राकेश तरना, श्री राजेश कुमार सुद्धिपुर, श्री राम चरण सुद्धिपुर, श्री इन्द्रपाल सुद्धिपुर, डिवाइन सैनिक स्कूल बौलिया, श्री प्रभु नरायन उपाध्यक्ष कटारा राम रतन सिंह बौलिया, किसन पटेल, महेशपुर अभिषेक चटर्जी, हीरतीरथ चौराह, श्री सुनील कुमार वृद्धकाल हरतीरथ, श्री भागीरथी पटेल, नेवादा सुन्दरपुर, श्री रमेश चन्द्र नेवादा सुन्दरपुर, श्री रोहित प्रधान, नेवादा सुन्दरपुर, श्रीमती गीता देवी, नेवादा सुन्दरपुर, श्री स्वास्थ यादव नेवादा सुन्दरपुर द्वारा गोदाम संचालन, श्री अनुज डिडवानिया वगैरह शाकुम्बरी काम्पलेक्स, डा0 प्रभात कुमार नेवादा सुन्दरपुर, श्री रवि मिश्रा अस्सी भेलूपुर, दीपाली रेस्टोरेन्ट, अस्सी भेलूपुर, केक पार्लर चन्दासी सर्कस रोड, स्वामी चौका चूल्हा सुभाष पार्क मुगलसराय, स्वामी स्वघाट, कैलाशपुरी मुगलसराय, कमला नर्सिंग होम टेंगरामोड़ रामनगर, कृष्ण स्वीट्स हाउस रामनगर, श्री कलीम रजा खान भीटी रामनगर को 3 दिन में अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं भवन की वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।आगे भी प्राधिकरण द्वारा बेसमेंट मे अनाधिकृत रूप से प्रयोग पाए जाने की दशा में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

आज –दि0 02.08.2024

विप्राका तीसरे दिन भी बेसमेंट के खिलाफ कारवाई जारी

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर गुरुवार तीसरे दिन बेसमेंटके खिलाफ कारवाई जारी रही। इस कारवाईमें ५७ भवन ऐसे पाये गये जिसमें बेसमेंटमें कोई न कोई गतिविधियां चल रही थीं। मौकेपर पहुंचे अधिकारियोंने भवन मालिकोंको नोटिस थमायी जिसमें तीन दिनके भीतर

विभिन्न जगहोंपर ५७ भवन चिह्नित

बेसमेंटका प्रयोग अन्य कार्योंमें ले जानेपर कानूनतः कारवाई की जायेगी। जांचके दरम्यान शिवपुरमें और सिकरौलमें आठ, दशाश्वमेधमें ३५, भेलूपुर और नगवांमें आठ, रामनगर और मुगलसरायमें छह अनाधिकृत रूपमें प्रयोग करते हुए पाये गये। इन भवन स्वामियोंको तीन दिनके अन्दर बेसमेंटका प्रयोग अन्य कार्योंके लिए लेनेपर रोक लगानेका निर्देश दिया गया है। जिन संस्थाओंको नोटिस जारी की गयी उसमें राज टीवीएस, सुद्धीपुर, कजरिया टाइल्स तरना, महिन्द्रा शो रूम भरलायी, राकेश तरना और राजेश सुद्धीपुर, रामचरण सुद्धीपुर, इन्द्रपाल सुद्धीपुर, सैनिक स्कूल बौलिया, प्रभुनारायण कटरा बौलिया, किशन पटेल महेशपुर, अभिषेक, हरतीरथ चौराहा, सुनील कुमार हरतीरथ, भागीरथी पटेल नेवादा, रमेश चन्द्र नेवादा, रोहित प्रधान नेवादा, गीता देवी नेवादा, सुन्दरपुर, अनुज डिडवानिया वगैरह शाकाम्भरी काम्प्लेक्स, डाक्टर प्रभात कुमार सुन्दरपुर, रवि मिश्रा अस्सी, दीपाली रेस्टोरेंट भेलूपुर, केक पार्लर चन्दासी, स्वामी चौका चूल्हा सुभाष पार्क, कमला नर्सिंग होम टेंगरामोड़, कृष्णा स्वीट्स रामनगर, कलीम रजा खान भीठी, रामनगर इन सभी को तीन दिनके अन्दर बेसमेंट खाली करनेका निर्देश दिया गया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 02.08.2024

वीडीए की टीम ने गुरुवार को 57 स्थानों पर किया निरीक्षण

बेसमेंट से पांच कोचिंग एवं लाइब्रेरी कराई बंद

- 27 कोचिंग संचालकों को नोटिस भेजी गई
- दशाश्वमेध में सर्वाधिक 35 बेसमेंट मिले

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। वीडीए की ओर से बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ गुरुवार को भी अभियान जारी रहा। बेसमेंट में चल रही पांच कोचिंग एवं लाइब्रेरी बंद कराई गई। वहीं 27 को नोटिस भेजा है।

दुर्गाकुंड में तीन दिन पहले जिन कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी संचालक को नोटिस दिया गया था गुरुवार को वीडीए के अधिकारियों ने उनका औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एल-1 कोचिंग, कैटलिस्ट लाइब्रेरी, आदित्य राज टेक्नोलॉजी क्लासेज, स्कॉलर लाइब्रेरी एवं नोबल लाइब्रेरी को खाली कराकर बंद करा दिया गया।

दूसरी ओर शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में वीडीए की टीम ने 57 बेसमेंटों का निरीक्षण किया। जोन-1 के शिवपुर और सिकरौल वार्ड में 8 बेसमेंट, जोन-3 दशाश्वमेध में 35, जोन-4 भेलूपुर और नगवा में 8 एवं जोन-5 रामनगर और मुगलसराय में छह भवनों के बेसमेंट में अनधिकृत व्यावसायिक प्रयोग होता मिला। इनमें से 27 को नोटिस जारी किया गया।

इन्हें मिला नोटिस : राज टीवीएस शुद्धीपुर, कजारिया टाइल्स तरना, महिन्द्र शोरूम भरलाई, तरना निवासी राकेश, शुद्धीपुर निवासी राजेश कुमार, राम चरण, इन्द्रपाल, डिवाइन सैनिक स्कूल बौलिया, प्रभु नरायन उपाध्याय कटारा बौलिया, बौलिया निवासी राम रतन सिंह, महेशपुर निवासी किशन पटेल, अभिषेक चटर्जी, नेवादा निवासी भागीरथी पटेल, रमेश चन्द्र, रोहित प्रधान, गीता देवी, अनुज डिडवानिया शाकम्भरी काम्पलेक्स, सुंदरपुर में डॉ. प्रभात कुमार, अस्सी स्थित दीपाली रेस्टोरेन्ट समेत कई को नोटिस दी गई।

हिन्दुस्तान–दि0 02.08.2024

अवैध निर्माण में 34 तहरीर लंबित

वाराणसी, । शहर में 34 अवैध निर्माणकर्ता और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ विभिन्न थानों में दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं होने पर गुरुवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा।

वीडीए की ओर से ऐसे निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। कुल 34 लोगों के खिलाफ विभिन्न थाने में तहरीर दी गई। इसमें शिवपुर, कैंट, लालपुर, लंका, रोहनिया थाने में एक-एक तहरीर दी गई। इसी प्रकार चोलापुर में छह, सारनाथ में तीन, चौबेपुर में आठ, चौक में चार, सिगरा में दो, मुगलसराय में चार तहरीर दी गयी थी।

हिन्दुस्तान–दि0 02.08.2024

अस्सी पर अवैध अस्थायी निर्माण सील

वाराणसी। अस्सी घाट मार्ग पर गंगा से दो सौ मीटर के अंदर हो रहे अस्थायी निर्माण को वीडीए ने गुरुवार को सील करा दिया। करीब तीन हजार वर्ग फिट में स्टील स्ट्रक्चर पर निर्माण कराया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी आदि रहे।

सारनाथ में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध वीडीए का अभियान जारी है। गुरुवार को वीडीए जोन-2 की प्रवर्तन टीम ने छाही (सारनाथ) में पांच बीघ में की गई अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जेपी गुप्ता रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स –दि0 02.08.2024

बेसमेंट के अवैध उपयोग पर वीडीए सख्त

वाराणसी। बेसमेंट के अवैध उपयोग को लेकर वीडीए इन दिनो काफी तेवर में है। शहर के कई बड़े संस्थानो और नामचीन लोगो की तेजी से नकेल कसने लगी है। इसको लेकर शहर के सात जोनो में एक साथ जबरदस्त अभियान चलाया और 57 जगहो की जांच कर नोटिस जारी की । इस दौरान27 बेसमेंट स्वामियों को वैधता प्रस्तुत करने का तीन दिनों का समय दिया और लापरवाही पर कारवाई किये जाने की सख्त चेतावनी दी। इसको लेकर गुरुवार को वीडीए लावलश्कर लेकर अचानक शहर के सात जोनो में एक साथ जा पहुंचा। जहां बेसमेंट में की जा रही व्यवसायिक गतिविधि के विरुद्ध जबरदस्त अभियान चलाया। इस दौरान जोन-1 के शिवपुर और सिकरौल वार्ड में जहां कुल 8 बेसमेंट भवनों में अनाधिकृत प्रयोग पाया गया ,वहीं जोन-3 दशाश्वमेध में 35, जोन-4 भेलुपुर और नगवा में कुल 8 बेसमेंट मानक के विपरित मिला । अभियान में जोन-5 रामनगर और मुगलसराय में

कड़ा तेवर

57 जगहों पर जांच कर दी नोटिस

27 बेसमेंट स्वामियों को वैधता पेश करने का दिया समय

कुल 6 बेसमेंट भवनों में अनधिकृत प्रयोग होता रहा। विभाग इस प्रकार कुल 27 बेसमेंट भवनों के विरुद्ध नोटिस देकर 3 दिनों मे अनाधिकृत प्रयोग बंद करने और वैधता प्रस्तुत करने की चेतावनी दी। इस दौरान कई नामचीन और बड़े संस्थानों की जांच की गयी और उन्हें नोटिस दिया गया। जिसमे राज टी०वी०एस० सुद्धपुर, कजारिया टाइल्स तरना, महिन्द्र शेरूम भरलाई,राकेश तरना, राजेश कुमार सुद्धिपुर राम चरण सुद्धिपुर, इन्द्रपाल सुद्धिपुर, डिवाइन सैनिक स्कूल बौलिया, प्रभु नरायन उपाध्यक्ष कटारा राम रतन सिंह बौलिया, किसन पटेल, महेशपुर अभिषेक चटर्जी, हीरतीरथ चौराह, सुनील कुमार वृद्धकाल हरतीरथ, भागीरथी पटेल, नेवादा सुन्दरपुर,रमेश चन्द्र नेवादा सुन्दरपुर,

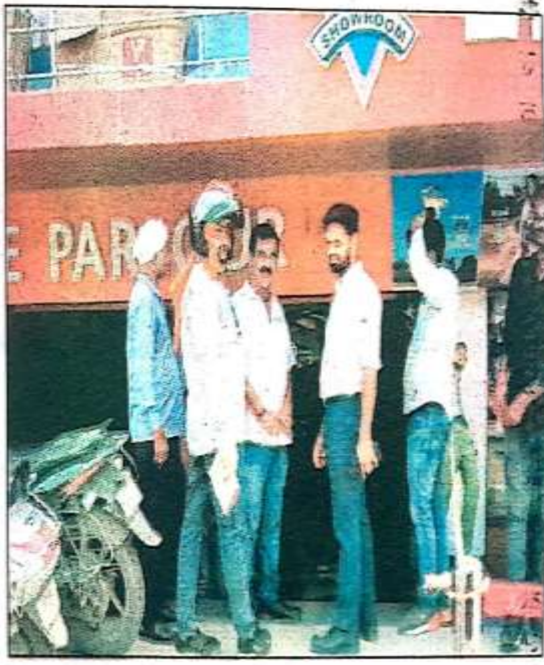

रोहित प्रधान, नेवादा सुन्दरपुर, श्रीमती गीता देवी, नेवादा सुन्दरपुर ,स्वास्थ यादव नेवादा सुन्दरपुर द्वारा गोदाम संचालन,अनुज डिडवानिया वगैरह शाकुम्बरी काम्पलेक्स, डा० प्रभात कुमार नेवादा सुन्दरपुर, रवि मिश्रा अस्सी भेलूपुर, दीपाली रेस्टोरेन्ट, अस्सी भेलूपुर, केक पार्लर चन्धासी सर्कस रोड, स्वामी चौका चूल्हा सुभाष पार्क मुगलसराय, स्वामी स्वघाट, कैलाशपुरी मुगलसराय, कमला नर्सिंग होम टेंगरामोड़ रामनगर, कृष्ण स्वीट्स हाउस रामनगर, कलीम रजा खान भींटी रामनगर शामिल है। इन सभी को वीडीए ने 3 दिन में अनधिकृत प्रयोग बंद करने का निर्देश दिया और भवन की वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 02.08.2024

वीडीए ने की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाहीवार्ड-सारनाथ, मौजा - छाही के अन्तर्गत रामापति पुत्र बुद्धू द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी द्य उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 01/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ।जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता जे0 पी0 गुप्ता उपस्थित रहे। वार्ड-नगवां के अंतर्गत अस्सी रोड पर गंगा से 200 मीटर के अन्दर लगभग 3000 वर्ग फिट में स्टील स्ट्रक्चर पर किये जा रहे अस्थाई निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया द्यमौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता आर0 के0 सिंह उपस्थित रहे ।

राष्ट्रीय सहारा –दि0 02.08.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने की कई कोचिंग व लाइब्रेरी की जांच

बेसमेंट सील करने के दिए आदेश

वाराणसी। वीडीए ने बेसमेंट में कोचिंग संस्थान /लाइब्रेरी एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधि के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान, पूर्व में दिए गए तीन दिवस नोटिस के क्रम में बृहस्पतिवार को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने दुर्गाकुंड में स्थित कोचिंग संस्थान एवं लाइब्रेरी जिसमें एलवन कोचिंग, कैटलिस्ट लाइब्रेरी, आदित्य राज टेक्नोलॉजी क्लासेस, सोलर लाइब्रेरी व नोबल लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया गया एवं इनको खाली कराके बंद कराने के निर्देश दिया।

गंगा के 200 मीटर के दायरे में हो रहे निर्माण को किया सील : वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-2 की प्रवर्तन टीम ने 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सारनाथ वार्ड के मौजा - छाही के अंतर्गत रामापति पुत्र बुद्धू की तरफ से लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को बृहस्पतिवार को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-4, वार्ड-नगवां के अंतर्गत अस्सी रोड पर गंगा से 200 मीटर के अंदर लगभग 3000 वर्ग फिट में स्टील स्ट्रक्चर पर किये जा रहे अस्थाई निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

न्यायाधिश –दि0 02.08.2024

27 बेसमेंट भवनों के विरुद्ध 3 दिन मे अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं वैधता प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सभी जोन में बेसमेंट में की जा रही व्यवसायिक गतिविधि के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसके क्रम में आज कुल 57 बेसमेंट भवन की स्थलीय जांच में मौके पर नियम विरुद्ध प्रयोग होता पाया गया। जोन-1 के शिवपुर और सिकरौल वार्ड में कुल 8 बेसमेंट भवनों में अनाधिकृत प्रयोग पाया गया। जोन-3 दशाश्वमेध में 35, जोन-4 भेलूपुर और नगवा में कुल 8 एवं जोन-5 रामनगर और मुगलसराय में कुल 6 बेसमेंट भवनों में अनाधिकृत प्रयोग होता पाया गया। इस प्रकार कुल 27 बेसमेंट भवनों के विरुद्ध 3 दिन में अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है उनमें मुख्यतः राज टी0वी0एस0 सुद्धपुर, कजारिया टाइल्स तरना, महिन्द्रा शोरूम भरलाई, श्री राकेश तरना, श्री राजेश कुमार सुद्धिपुर, श्री राम चरण सुद्धिपुर, श्री इन्द्रपाल सुद्धिपुर, डिवाइन सैनिक स्कूल बौडिया, श्री प्रभु नरायन उपाध्यक्ष कटारा राम रतन सिंह बौलिया, किसन पटेल, महेशपुर अभिषेक चटर्जी, हीरतीरथ चौराह, श्री सुनील कुमार वृद्धकाल हरतीरथ, श्री भागीरथी पटेल, नेवादा सुन्दरपुर, श्री रमेश चन्द्र नेवादा सुन्दरपुर, श्री रोहित प्रधान, नेवादा सुन्दरपुर, श्रीमती गीता देवी, नेवादा सुन्दरपुर, श्री स्वास्थ यादव नेवादा सुन्दरपुर द्वारा गोदाम संचालन, श्री अनुज डिडवानिया वगैरह शाकुम्बरी काम्पलेक्स, डा0 प्रभात कुमार नेवादा सुन्दरपुर, श्री रवि मिश्रा अस्सी भेलूपुर, दीपाली रेस्टोरेन्ट, अस्सी भेलूपुर, केक पार्लर चन्धासी सर्कस रोड, स्वामी चौका चूल्हा सुभाष पार्क मुगलसराय, स्वामी स्वघाट, कैलाशपुरी मुगलसराय, कमला नर्सिंग होम टेंगरामोड़ रामनगर, कृष्णा स्वीट्स हाउस रामनगर, श्री कलीम रजा खान भीटी रामनगर को 3 दिन में अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं भवन की वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।आगे भी प्राधिकरण द्वारा बेसमेंट मे अनाधिकृत रूप से प्रयोग पाए जाने की दशा में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

न्यायाधिश –दि0 02.08.2024

वाविप्रा ने किया अस्थाई निर्माण को सील

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-4, वार्ड-नगवां के अंतर्गत अस्सी रोड पर गंगा से 200 मीटर के अन्दर लगभग 3000 वर्ग फिट में स्टील स्ट्रक्चर पर किये जा रहे अस्थाई निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया ।इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता आर0 के0 सिंह उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।